भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 54
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 04 दिसंबर, 2023
13 अग्रहायण, 1945 (शक)

विरासत स्थलों के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

54. **सुश्री देबाश्री चौधरी:**
श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विरासत स्थलों के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को सुकर बनाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक –निजी भागीदारी के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही संरक्षण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा उन निजी कंपनियों के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं जिन्हें ऐतिहासिक और विरासत स्थलों के रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(घ) क्या उक्त कंपनियां इन मानकों और मानदंडों का अनुपालन कर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): जी, हां। सरकार ने धरोहर स्थलों के संरक्षण और भारत की सांस्कृतिक विरासत के सम्यक संवर्धन के लिए सार्वजनिक - निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के मद्देनजर धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1890 के अधीन 1996 में एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) का गठन किया है।

(ख): जी, हां। सावर्जनिक-निजी भागीदारी पद्धति के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी नियमित रूप से प्रत्येक परियोजना के लिए गठित परियोजना कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाती है।

(ग) से (ड.): राष्ट्रीय संस्कृति निधि में अंशदान करते समय कोई भी डोनर/प्रायोजक किसी विशेष स्थल/ पहलू सहित किसी स्मारक के संरक्षण अथवा उसके चारों ओर सुविधाएं विकसित करने की ओर इंगित कर सकता है। जहां तक संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का संबंध है, इसे केवल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा इनका अनुरक्षण किया जाता है। सभी डोनर एजेंसियां राष्ट्रीय संस्कृति निधि और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा स्थापित मानदंडों का अनुपालन करती हैं।

*****